L- 13
B-II
Polity

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रकार :- और उसका महत्व

① वाक् में बोलने का अधिकार शामिल है जिसमें व्यक्ति अपने विचार के अलावा किसी अन्य विचार को भी अभिव्यक्त कर सकता है।

② अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस, टी.वी., सोशल मीडिया और फिल्म की स्वतंत्रता भी शामिल है।

③ अभिव्यक्ति के प्रत्येक माध्यम के प्रभाव अलग है जैसे- किताब सीमित लोगों द्वारा ही पढ़ी जाती है लेकिन फिल्मों का प्रदर्शन एक विशेष रूप में बन्द कमरे में होता है लेकिन प्रभाव जन-मानस पर ज्यादा होता है।

④ वर्तमान में सोशल मीडिया का अत्याधिक प्रभाव है जिसके द्वारा रातों-रात किसी व्यक्ति को हीरो या विलन बनाया जा सकता है।

⑤ जबकि प्रेस को लोकतंत्र का चौथा खम्भा कहा जाता है जो सरकार की आलोचना और सरकार को बनाए रखने में प्राथमिक दायित्व

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

का निर्वाह करता है।

स्वतंत्रता पर तार्किक प्रतिबन्ध →

① भारतीय संविधान में नागरिकों की स्वतंत्रता, राज्य की सुरक्षा और एकता - अखण्डता के बीच एक बेहतरीन समन्वय स्थापित किया गया है इसीलिए संविधान में उल्लेखित अनुच्छेद 19 के प्रतिबन्धों से संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त हो जाती है जिससे स्वतंत्रता को सीमित किया जा सके लेकिन उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का दायित्व है कि राज्य के द्वारा आरोपित प्रतिबन्धों की तार्किकता का परीक्षण करें।

② तार्किक प्रतिबन्ध का कोई वस्तुनिष्ठ आशय नहीं है अपितु देश और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण -

i) उच्चतम न्यायालय के अनुसार बहुमत की माँग पर किसी फिल्म को प्रतिबंधित करना अतार्किक है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

(3) अपनी प्राथमिकता के विरुद्ध दूसरे व्यक्ति के मत को प्रतिबंधित करने की माँग भी अतार्किक है जबकि तार्किक प्रतिबंध का आशय अभिव्यक्ति के माध्यमों और परिस्थिति के अनुसार निर्धारित होता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करता है-

i) प्रतिबन्ध का अनुपात उचित होना चाहिए।

ii) न्यायालय प्रतिबंध की प्रक्रिया की भी जाँच करता है जो उचित होनी चाहिए।

(4) राष्ट्रीय सुरक्षा और अखण्डता जैसे आधारों पर स्वतन्त्रता को प्रतिबन्धित करना तार्किक माना जाता है जबकि नैतिकता और सदाचार जैसे मुद्दों पर न्यायालय का दृष्टिकोण सदैव लचीला होता है।

<u>अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिक और राज्य के बीच का विवाद →</u>

1. लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की आलोचना, सरकार से असहमति नागरिक का मूल अधिकार है लेकिन सरकार की आलोचना को भी राष्ट्र

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

की सुरक्षा और सम्प्रभुता के लिए खतरा बताने का प्रयास किया जाता है।

2. लोक व्यवस्था और राज्य की अखण्डता के नाम पर विपक्षी दलों की आवाज के दमन का प्रयास किया जाता है।

3. संविधान में उपलब्ध अधिकार सरकार के द्वारा नहीं दिए गए हैं अपितु इन अधिकारों से सरकार की शक्तियाँ सीमित होती हैं जबकि व्यवहारिक रूप में सरकार अधिकारों को सीमित करने का प्रयास करती है।

KGS KHAN GLOBAL STUDIES IAS Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सिकुड़ता दायरा :→

① अनुच्छेद 19(2) में आरोपित प्रतिबंधों का दायरा, बढ़ा दिया गया, जिसके बाद लोक व्यवस्था अपराध को बढ़ावा देना तथा विदेशी राज्य के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्धों के विरुद्ध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबन्धित कर दिया गया है। यह कार्य उच्चतम न्यायालय ने रमेश थापर वाद में दिए गए निर्णय के बाद किया, जो अभि-व्यक्ति की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में उच्चतम

न्यायालय में पहला विवाद था।

(2) पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की प्रतिकूल स्थिति के कारण 16 वाँ संविधान संशोधन किया गया, जिसमें अनुच्छेद 19 के खण्ड 2 में सम्प्रभुता और अखण्डता को शामिल कर दिया गया जिससे अभिव्यक्ति का अधिकार उनके विरुद्ध उपलब्ध नहीं होगा।

(3) 42 वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग-4 (A) जोड़ा गया और मूल कर्तव्यों के भाग के द्वारा भी आजादी को सीमित किया गया क्योंकि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र ध्वज जला रहा है तो ये उसके मूल कर्तव्यों का उल्लंघन है जिसके आधार पर उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है।

स्वतंत्रता के अन्य आयाम और उस पर प्रतिबंध:-

1. अनुच्छेद 19 के विभिन्न खण्डों में व्यक्ति को समूह संगठन बनाने की आजादी है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को धरना, प्रदर्शन और विरोध करने की

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

भी स्वतंत्रता है लेकिन शाहीन बाग वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धरना प्रदर्शन किसी राजमार्ग पर सम्भव नहीं है अपितु इसके लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए।

2. भारत कुमार वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह पहले ही कह दिया कि बन्द का आयोजन असंवैधानिक है इसके बावजूद विभिन्न राजनैतिक दल बन्द का आवाहन करते हैं।

3. किसी भी नागरिक को देश में आवागमन करने और बसने का अधिकार है लेकिन जनजाति क्षेत्र में बसने पर प्रतिबंध आरोपित है।

4. हाल ही में राज्य के द्वारा इंटरनेट को लम्बे समय तक बन्द करने के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय ने अनुराधा भसीन वाद में कहा इसे अत्यधिक लम्बे समय तक बन्द करना जीवन और व्यवसाय के अधिकार का उल्लंघन है।

5. प्रत्येक नागरिक को व्यापार, वाणिज्य, वृत्ति की स्वतंत्रता है लेकिन राज्य के द्वारा इस पर

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं तथा राज्य कुछ व्यवसाय पर अपना नियंत्रण भी स्थापित कर सकता है। वर्ष २०२२ में उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि वैश्या-वृत्ति भी एक व्यवसाय है।

निष्कर्ष- भारतीय संविधान में नागरिकों की स्वतंत्रता तथा राज्य की सुरक्षा, सम्प्रभुता के बीच एक बेहतरीन संतुलन स्थापित किया गया है और लोकतंत्र की प्रगति नागरिकों के अधिकारों से निर्धारित होती है और निर्वाचन एक साधन है, साध्य नहीं है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Trusted Learning Platform

अनुच्छेद - 20

1. भूतलक्षी विधि
2. दोहरा जोखिम
3. अपने विरूद्ध गवाही देने से स्वतंत्रता

KGS KHAN GLOBAL STUDIES IAS
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR